सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर—272202 उ0प्र0(भारत)
Website :www.suksn.edu.in,Email Id: coe@suksn.edu.in

अतिमहत्वपूर्ण/अतिशीघ्र सूचना

पत्रांक—5789/सि0वि0वि0/प0सा0/2026

दिनांक 20 —08—2026

दिव्यांग/निराश्रित/शहीद आश्रित हेतु

सेवा में,

1—समस्त विभागाध्यक्ष/प्रभारी (परिसर)
सिद्धार्थ वि0वि0 कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर
2—समस्त प्राचार्य/प्रबन्धक
राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय
सम्बद्ध सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।

विषय— रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा—निर्देश।

महोदय,

उपुर्यक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 64/2026/563/सत्तर—4—70—4002(001)/2/2025 दिनांक 19 अगस्त, 2026 द्वारा रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जारी दिशा—निर्देश के बिन्दु सं0—2 के क्रम में सत्र 2025—26 स्नातक अन्तिम वर्ष में कुल उत्तीर्ण छात्राओं में से 5 प्रतिशत टापर उत्तर प्रदेश की मूल निवासी के हों, योजना से आच्छादित होंगी **इसके अतिरिक्त सामान्य मेधावी छात्राओं के लिए निर्धारित मेरिट लिस्ट से 10 प्रतिशत कम अंकों वाली शहीद परिवारों की मेधावी छात्राएं तथा दिव्यांग छात्राएं एवं निराश्रित छात्राएं इस योजना के लिए अर्ह मानी जायेंगी।** दिव्यांग छात्राओं के लिए स्कूटी के साथ रेट्रोफिटेड स्टेबलाइजर किट भी उपलब्ध करायी जाएगी।

अतः रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अन्तर्गत सामान्य मेधावी छात्राओं के लिए निर्धारित मेरिट लिस्ट से 10 प्रतिशत कम अंकों वाली शहीद परिवारों की मेधावी छात्राएं तथा दिव्यांग छात्राएं एवं निराश्रित छात्राओं जिनका **प्राप्तांक 66.48** व उससे अधिक है। ऐसे छात्राएं **संलग्न प्रारूप पर वांछित सूचनाएं पूरित कर ई—मेल पता info@suksn.edu.in पर तत्काल प्रेषित करने का कष्ट करें।**

नोट 1—सभी महाविद्यालय सत्र 2025—26 स्नातक अन्तिम वर्ष में अध्ययनरत छात्राओं से डाटा पूरित करवाना तत्काल सुनिश्चित करें। यदि उपरोक्त डाटा अप्राप्त होता है तो योजना का लाभ सम्बन्धित छात्राओं को प्राप्त नहीं हो सकेगा। पूरित सूचना के आधार पर तैयार की गई सूची में से शासन के निर्देश के क्रम में निर्धारित मापदण्ड के अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन किया जायेगा।

2—उपरोक्त सूचना शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें, प्राप्त सूचना के आधार पर तैयार की गई सूची में से स्कूटी योजना के लाभार्थियों का चयन किया जाना है। केवल पात्र छात्राएं ही लाभार्थी हेतु अनुमन्य होंगी।

3—सम्बन्धित छात्र अंक—पत्र के पृष्ठ भाग पर दिये गये फार्मूले से सी0जी0पी0ए0 को प्रतिशत में बदल कर देख सकते हैं।

संलग्नक—प्रारूप।

भवदीय

परीक्षा नियंत्रक

पत्रांक— /तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. कुलसचिव/वित्त अधिकारी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
2. समस्त संकायाध्यक्ष, सिद्धार्थ वि0वि0 कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
3. डॉ0 अविनाश प्रताप सिंह, मीडिया प्रभारी/जनसम्पर्क अधिकारी, सि0वि0वि0क0,सि0
4. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
5. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं महाविद्यालयों के कालेज लॉगिन पर अपलोड करते हुए आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
6. सम्बन्धित पत्रावली में संरक्षित हेतु।

परीक्षा नियंत्रक

रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना (केवल शहीद परिवारों की मेधावी छात्राओं हेतु प्रारूप)

Student Eligibility & Document Verification — Session 2025-26

1. Student Verification

College / Institution: ______________________

Course / Programme: ______________________

Roll Number: __________

Enrollment Number: __________

2. Student Details

Student Name: ______________________

Father's Name: ______________________

Mother's Name: ______________________

Category –Gen/OBC/SC/ST/EWS______________________

D.O.B. ______________________

Gender: __________ CGPA: __________

Mobile Number: __________ Email ID: ______________

3. निवास प्रमाण पत्र के अनुसार पता

निर्देश: जिला एवं पूरा पता निवास प्रमाण पत्र में अंकित विवरण के अनुसार ही दर्ज करें।

क्या विद्यार्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है? ☐हाँ ☐नहीं

District: ________________ Tehsil: ________________

Block: ________________ Village / Town: ____________

PIN Code: __________

Full Address: ______________________________

निवास प्रमाण पत्र संख्या: ______________ जारी होने की तारीख: ________

निवास प्रमाण: Attached

4. Income Certificate

अनिवार्य शर्त: वार्षिक पारिवारिक आय ₹12,00,000/- से कम हो ।

Annual Family Income: ₹ __________

Income Certificate No.: ______________

Issue Date: ________________ Issuing Authority: ________________________

Income Certificate: Attached

5. Aadhaar & APAAR

Aadhaar Number: _____________________________________

Aadhaar Linked Mobile Number: ________________________

APAAR ID: _____________________________________

6. शहीद परिवार / शहीद आश्रित

शहीद आश्रित की पात्रता: सशस्त्र सेना की तीनों सेनाओं (थल सेना, नौ सेना एवं वायु सेना) तथा अर्द्धसैनिक बलों में कर्तव्य पालन के दौरान शहीद हुए सैनिक/अर्द्धसैनिक बल के आश्रित पात्रता हेतु विचारणीय होंगे, संबंधित शासनादेश/दिशा-निर्देशों के अनुसार।

क्या विद्यार्थी शहीद आश्रित श्रेणी में आता/आती है? ☐हाँ ☐नहीं

शहीद प्रमाण-पत्र/आश्रित प्रमाण-पत्र संख्या: ________________________

शहीद प्रमाण-पत्र/आश्रित प्रमाण-पत्र: Attached

7. Divyangjan

क्या विद्यार्थी Divyangjan है? ☐हाँ ☐नहीं

यदि हाँ — Disability Percentage: ________ % UDID Number: _____________________

Divyangjan Certificate: ☐Uploaded / Attached

8. Nirashrit

क्या विद्यार्थी निराश्रित है? ☐हाँ ☐नहीं

Nirashrit Certificate No.: ________________________ Issue Date: ___________

Nirashrit Certificate: ☐Uploaded / Attached

9. घोषणा

☐मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपलब्ध कराई गई सभी सूचनाएँ एवं दस्तावेज सही एवं सत्य हैं। गलत/भ्रामक सूचना अथवा अप्रमाणिक दस्तावेज पाये जाने पर मेरी पात्रता निरस्त की जा सकती है।

10. योजना संबंधी महत्वपूर्ण पात्रता

रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत सत्र 2025-26 में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण छात्राएँ ही पात्रता हेतु विचारणीय होंगी। अंतिम पात्रता संबंधित शासन/विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित होगी।

विद्यार्थी के हस्ताक्षर: ______________________

दिनांक: ________________

संख्या-64/2026/563/सत्तर-4-2026-70-4002(001)/2/2025

प्रेषक,

एम0पी0 अग्रवाल,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2- कुलपति/कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

3- समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

5- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, उत्तर प्रदेश।

6- निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 19 अगस्त, 2026

विषय:-'रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना' के क्रियान्वयन के संबंध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि महिला सशक्तीकरण के दृष्टिगत छात्राओं की ड्राप-आउट दर को कम करने, उच्च शिक्षा में छात्राओं के अवधारण (Retention) में सुधार करने, उच्च शैक्षणिक संस्थाओं तक छात्राओं की पहुंच और गतिशीलता सुनिश्चित करने, सकल नामांकन अनुपात (GER) को बढ़ाने और छात्राओं के समग्र विकास को बढ़ावा देने तथा उनमें आत्मविश्वास व स्वतंत्रता की भावना का विकास किये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 'रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना' का क्रियान्वयन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- 'रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना' के अंतर्गत स्कूटी के वितरण हेतु निम्नांकित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा:-

1. प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग तथा अन्य विभागों के अंतर्गत संचालित राज्य विश्वविद्यालयों तथा निजी विश्वविद्यालयों एवं राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध राजकीय महाविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों व स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्नातक उत्तीर्ण छात्राएं योजना से आच्छादित होंगी।
2. शैक्षणिक सत्र 2025-26 में समस्त स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं में से टॉप 5 प्रतिशत छात्राएं, जो उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हों, योजना से आच्छादित होंगी। इसके अतिरिक्त सामान्य मेधावी छात्राओं के लिए निर्धारित मेरिट से 10 प्रतिशत कम अंको वाली शहीद परिवारों की मेधावी छात्राएं तथा दिव्यांग छात्राएं एवं निराश्रित छात्राएं इस योजना के लिए अर्ह मानी जायेंगी। दिव्यांग छात्राओं के लिए स्कूटी के साथ रेट्रोफिटेड स्टेबलाइजर किट भी उपलब्ध करायी जाएगी। (शहीद परिवारों, दिव्यांग छात्राओं एवं निराश्रित छात्राओं की परिभाषा संलग्नक-1 के रूप में संलग्न)

3. ऐसे पाठ्यक्रमों जिसमें सीजीपीए की व्यवस्था लागू है, में स्नातक में प्राप्त सीजीपीए को सम्बंधित विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिशत में परिवर्तित किया जाएगा।
4. ऐसी छात्राएं, जिनके परिवार की आय रू0 12.00 लाख तक हो, को इस योजना के अंतर्गत आच्छादित किया जाएगा।
5. राज्य विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों एवं राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध राजकीय/अशासकीय/स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में पंजीकृत छात्राओं, जिनके द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्नातक उत्तीर्ण किया गया है, की पात्रता सूची सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की जाएगी। विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं परीक्षा नियंत्रक द्वारा अपने संयुक्त हस्ताक्षर से सूची को पोर्टल पर लाभार्थीवार अलग-अलग ई-हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित एवं सत्यापित किया जाएगा।
6. पोर्टल लाइव की तिथि से एक सप्ताह में पात्रता के अनुसार पात्र लाभार्थियों की सूची विश्वविद्यालयों द्वारा संबंधित जिलाधिकारी तथा निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को पोर्टल पर फॉरवर्ड की जायेगी।
7. पोर्टल पर जनपदवार सम्बंधित जिलाधिकारी को पात्र लाभार्थियों की सूची प्रदर्शित होगी, जिसका सत्यापन जिलाधिकारी द्वारा कराया जाएगा और सत्यापन के उपरान्त पोर्टल पर ही चयनित वेंडर के माध्यम से छात्राओं को स्कूटी का आवंटन भी जिलाधिकारी द्वारा कराया जाएगा।
8. वितरण के उपरांत जिलाधिकारी द्वारा छात्राओं से स्कूटी की प्राप्ति का प्रमाण प्राप्त कर उसे पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
9. वेंडर द्वारा प्रत्येक जिले में सर्विस सेंटर बनाया जाएगा और एक शिकायत निवारण पोर्टल भी विकसित किया जाएगा, जिसमें संबंधित जिलाधिकारी एवं निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के लिए डैशबोर्ड और छात्राओं के लिए शिकायत पंजीकृत करने की व्यवस्था होगी।
10. छात्रा द्वारा उक्त आवंटित स्कूटी का किसी भी दशा में विक्रय नहीं किया जाएगा।
11. वितरण हेतु चयनित स्कूटी की ब्रांडिंग के संबंध में पृथक से दिशा-निर्देश एवं डिजाइन उपलब्ध करायी जाएगी, जिसे स्कूटी पर अंकित किया जाना वेंडर के लिये अनिवार्य होगा।
12. दूर-दराज ग्रामीण क्षेत्रों में भी पेट्रोल चालित स्कूटी के लिए पर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर यथा सर्विस सेंटर तथा पेट्रोल ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता के दृष्टिगत स्कूटी का फ्यूल टाईप (ईंधन) पेट्रोल होगा तथा स्कूटी का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा किया जाएगा।
13. स्कूटी के पैकेज के अंतर्गत स्कूटी के साथ-साथ पंजीकरण शुल्क, व्यापक वाहन बीमा, एक ISI मार्का हेलमेट तथा 04 लीटर पेट्रोल सम्मिलित होगा। पैकेज में पूर्ण एक्सेसरीज भी सम्मिलित होंगी।
14. योजना के अंतर्गत स्कूटी के वितरण हेतु निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा एन0आई0सी0 के माध्यम से एक पोर्टल विकसित किया जाएगा।

3- प्रत्येक जनपद में समारोह के माध्यम से स्कूटी का वितरण किया जाएगा। इस संबंध में पृथक से दिशा-निर्देश निर्गत किये जायेंगे। समारोह के आयोजन हेतु प्रत्येक जिले को धनराशि का आवंटन योजना के अन्तर्गत उपलब्ध बजट प्राविधान के सापेक्ष संबंधित जिलाधिकारी को किया जाएगा।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया 'रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना' के क्रियान्वयन के संबंध में उपर्युक्त दिशा-निर्देशों तथा शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by
MAHENDRA PRASAD AGRAWAL
Date: 19-08-2026 17:08:51

(एम0पी0 अग्रवाल)

प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश शासन।
2- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, उ0प्र0 राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ।
7- निदेशक, राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ।
8- निदेशक, उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
9- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
11-निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
12-परीक्षा नियंत्रक, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
13-समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
14-समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
SARVESH KUMAR SINGH
Date: 19-08-2026
17:42:22

(सर्वेश कुमार सिंह)

विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या-64/2026/563/सत्तर-4-2026-70-4002(001)/2/2025, दिनांक 19 अगस्त, 2026 का संलग्नक-1

शहीद परिवारों, दिव्यांग छात्राओं एवं निराश्रित छात्राओं की पात्रता का निर्धारण करते समय निम्नांकित बिन्दुओं को दृष्टिगत रखा जायेगा :-

1. सशस्त्र सेना के तीनों सेनाओं (थल सेना, नौ सेना एवं वायु सेना) और अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत रहते हुये कर्तव्य पालन के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों/अर्द्धसैनिक बलों के आश्रितों को शासकीय सेवा में लिये जाने विषयक सैनिक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश दिनांक 19 मार्च, 2018 में शहीद सैनिकों को निम्नवत परिभाषित किया गया है:-

   परिभाषाएँ-

   (क) शहीद (Battle Casualty) सैनिकों का तात्पर्य

   सशस्त्र बल के तीनों सेनाओं और अर्द्धसैनिक बलों के कार्यकलाप के संबंध में सेवायोजित स्थायी/अस्थायी रूप से नियुक्त/कमीशण्ड आफीसर/सैनिक जो कर्तव्य पालन के दौरान देश की सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय युद्ध, गोलाबारी, बैटल एक्सीडेन्ट, सीमा पर छुट-पुट/आतंकवादी घटनाओं तथा अराजकतत्वों की गतिविधियों में हुई हिंसा, प्राकृतिक आपदा एवं वाहन दुर्घटना के दौरान शहीद हुए हैं।

   अथवा

   (ख) कर्तव्य पालन के दौरान बिन्दु (क) पर वर्णित घटनाओं के समय ऐसे लापता शहीद जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा मृत घोषित किया गया हो।

   (ग) शहीद के आश्रितों के अन्तर्गत वरीयता क्रम में

   शहीद सैनिक के विवाहित होने की स्थिति में शहीद सैनिक की पत्नी, विधवा पुत्रवधू, अविवाहित पुत्रियां, कानून संगत दत्तक पुत्रियाँ, माता आश्रित की श्रेणी में मानी जायेंगी परन्तु उक्त आश्रितों के शारीरिक/मानसिक अनुपयुक्तता की स्थिति में आश्रित अविवाहित पौत्रियां आश्रित की श्रेणी में मानी जायेंगी।

   शहीद सैनिक के अविवाहित होने की स्थिति में शहीद सैनिक की माता, अविवाहित बहन आश्रित की श्रेणी में मानी जायेंगी।

2. दिव्यांगजन सशक्तिकरण अनुभाग-2 द्वारा निर्गत निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराये जाने की नियमावली, 2020 दिनांक 22 जनवरी, 2020 में पात्र "दिव्यांगजन" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पालिसी, हीमोफिलिया आदि से ग्रसित हो या व्यक्ति उपर्युक्त की भाँति शारीरिक स्थिति में हो, उसकी दृष्टि अच्छी हो, मानसिक स्थिति अच्छी हो, कमर के ऊपर का हिस्सा (भाग) स्वस्थ हो, संबंधित दिव्यांगजन मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल पर बैठकर अपने हाथों से उपकरण का संचालन करने में सक्षम हो व संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उसकी दिव्यांगता न्यूनतम 80 प्रतिशत या उससे अधिक प्रमाणित की गयी हो।

3. निराश्रित छात्राओं से तात्पर्य ऐसी छात्राओं से होगा जिनके माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई हो तथा परिवार में भरण-पोषण करने वाला कोई अन्य सदस्य न हो।

Digitally signed by
RAM JANAM CHAUHAN
Date: 19-08-2026
18:04:33